

नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786  
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 076

दि. 18.12.2025,

गुरुवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 • Email : navsarjansanskriti2016@gmail.com • Email : navsarjansanskriti2016@yahoo.com • Website : www.navsarjansanskriti.com

# परमाणु ऊर्जा के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खुले लोकसभा से पारित 'शांति' विधेयक पर सियासी संग्राम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक और दूरगामी बदलाव की नींव रखते हुए लोकसभा ने बुधवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का रास्ता साफ करने वाले विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए सरकार ने न केवल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा को हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, शोध और पर्यावरण जैसे गैर-विद्युत क्षेत्रों में भी इसके उपयोग को विस्तार देने का संकेत दिया है। हालांकि, इस फैसले को जहां सरकार भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जन सुरक्षा और पर्यावरण के लिए जोखिम भरा कदम दे रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 'सतत दोहन और भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय

ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं अभिवर्धन विधेयक, 2025', जिसे संक्षेप में 'शांति विधेयक' कहा जा रहा है, को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। लंबी चर्चा के बाद जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा कानूनों का आधुनिकीकरण करना और इस क्षेत्र को अधिक समावेशी बनाना है। उनका कहना था कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए अब केवल सरकारी संसाधनों के भरोसे आगे बढ़ना पर्याप्त नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी हो गई है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से कोई नया कानून नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों में समय की मांग के अनुसार आवश्यक संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक की एक अहम धारा निजी व्यक्तियों और



संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार की अनुमति देती है, ताकि भारत इस क्षेत्र

में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके। साथ ही सरकार को यह अधिकार भी

दिया गया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी कंपनी या इकाई की भागीदारी को प्रतिबंधित कर सके। मंत्री ने जोर देकर कहा कि विधेयक में सुरक्षा, संरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, परमाणु दायित्व और आपातकालीन तैयारियों से जुड़े प्रावधानों को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। विपक्ष के विरोध पर पलटवार करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कई विपक्षी सदस्य विधेयक को पूरी तरह पढ़े बिना ही उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्तापक्ष का विरोध करने के चक्कर में विपक्षी सांसद अपने ही कार्यकाल के दौरान बनाए गए कानूनों और प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक, सरकार का लक्ष्य किसी भी कीमत पर निजीकरण नहीं, बल्कि नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से सार्वजनिक-निजी

भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे देश को ऊर्जा सुरक्षा मिल सके। सरकार ने सदन को बताया कि इस विधेयक के लागू होने के बाद परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान नया अधिनियम लेगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करना, साथ ही छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की बड़े पैमाने पर तैनाती को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि तकनीकी नवाचार, रोजगार और शोध के नए अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि, विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इस विधेयक को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ उठाया गया एक

खतरनाक कदम बताया। लोकसभा में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि पैसों की लालसा को जन सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पीड़ितों को न्याय की जरूरत पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। उनका आरोप था कि प्रस्तावित कानून अपवादों से भरा हुआ है, इसमें अत्यधिक विवेकाधिकार दिए गए हैं और यह जनकल्याण के प्रति संवेदनशील नहीं दिखता। शशि थरूर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह वास्तव में एक परमाणु विधेयक है या फिर एक अस्पष्ट और भ्रम पैदा करने वाला कानून। उन्होंने चेतावनी दी कि यह विधेयक निजीकृत परमाणु विस्तार की दिशा में एक ऐसा कदम है, जो भविष्य में गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि 'शांति' शब्द का अर्थ शांति और स्थिरता होता है, लेकिन यह

सुनिश्चित करना होगा कि यह नाम किसी रोक की जा सकने वाली आपदा के बाद एक क्रूर विडंबना न बन जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को बदलने के वादे को भारत को कलंकित करने के जोखिम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया कि प्रस्तावित कानून अंतरराष्ट्रीय परमाणु दायित्व मानकों, सुरक्षा उपायों और नियामक ढांचे के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को कमजोर नहीं करेगा। विधेयक का उद्देश्य सुरक्षित उपयोग के साथ-साथ जनकल्याण सुनिश्चित करना बताया गया है। अब इस विधेयक के पारित होने के बाद निगाहें इस पर टिकी हैं कि निजी क्षेत्र की एंट्री से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी तेजी से बढ़ती है और क्या सरकार सुरक्षा और पारदर्शिता के अपने दावों पर खरी उतर पाती है या नहीं।

## बंगाल की खाड़ी में भारत की बड़ी सैन्य तैयारी, विशाखापत्तनम तट के पास 3240 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल परीक्षण संभव

(जीएनएस)। विशाखापत्तनम। भारत अपनी सामरिक ताकत को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी मिसाइलों और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण की गति लगातार तेज हुई है। इसी कड़ी में अब बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर बड़ी सैन्य गतिविधि के संकेत मिले हैं। भारत सरकार की ओर से विशाखापत्तनम तट के पास 22 से 24 दिसंबर की अवधि के लिए NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है, जिसे रक्षा विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण से जोड़कर देख रहे हैं। जारी किए गए NOTAM के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा समुद्री क्षेत्र अस्थायी रूप से हवाई यातायात के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिसूचित क्षेत्र की अनुमानित रेंज लगभग 3,240 किलोमीटर बताई जा रही है, जो इसे एक लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण गतिविधि की ओर



इशारा करने वाला बनाती है। आमतौर पर इतनी बड़ी रेंज वाले NOTAM तब जारी किए जाते हैं, जब किसी बैलिस्टिक या एडवांस्ड स्ट्रेटिजिक मिसाइल के परीक्षण की योजना होती है, ताकि हवाई और समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रक्षा सूत्रों के अनुसार, विशाखापत्तनम तट के पास बंगाल की खाड़ी पहले भी भारत के कई अहम मिसाइल परीक्षणों का साक्षी रहा है। यहीं से अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों सहित कई समुद्र आधारित और लंबी दूरी की प्रणालियों

का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस बार जारी NOTAM की दिखाते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि परीक्षण किसी ऐसी मिसाइल से जुड़ा हो सकता है, जिसकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक है और जो भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करेगी। हालांकि, सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक किसी भी मिसाइल प्रणाली या प्लेटफॉर्म को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सैन्य विश्लेषकों का मानना

है कि मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार परख रहा है और आधुनिक तकनीक से लैस हथियार प्रणालियों को operational readiness में लाने पर जोर दे रहा है। समुद्र आधारित परीक्षणों का उद्देश्य खास तौर पर भारत की दूसरी मारक क्षमता यानी सेकेंड स्ट्राइक कैपैबिलिटी को मजबूत करना भी माना जाता है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइलें न केवल भारतीय सेनाओं की ताकत बढ़ा रही हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में जारी यह NOTAM एक बार फिर इस बात का संकेत है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की हिलाई बरतने के मूढ़ में नहीं है और आने वाले दिनों में देश की सैन्य शक्ति का एक और प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।

## महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में तेज हुई सियासी सरगर्मी, पुणे से नागपुर और संभाजीनगर तक दलों की रणनीति ने पकड़ी रफ्तार

(जीएनएस)। पुणे। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों की आहट के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पुणे से लेकर नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर तक सभी प्रमुख दल मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने पुणे महानगरपालिका चुनाव में औपचारिक रूप से अपनी एंट्री कर दी है। पार्टी ने चुनावी तैयारी को मजबूत संकेत देते हुए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और साफ कर दिया है कि वह इस बार किसी भी बड़े शहर को खाली छोड़ने के मूढ़ में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए प्रभागवार 25 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि पुणे महानगरपालिका की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहली सूची में प्रभाग 3 (अ) से शितल कांडेलकर, प्रभाग 5 (अ) से संतोश काले, प्रभाग 6 (अ) से श्रद्धा शेट्टी और प्रभाग 7 (ड) से शंकर थोरात को टिकट दिया गया है। पार्टी का कहना है कि वह स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार और नागरिक सुविधाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी और पुणे की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को पेश करेगी। दूसरी ओर नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। नागपुर महानगरपालिका चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन टिकट के दावेदारों की भारी भीड़ के चलते पार्टी कार्यालय में अख्यवस्था की स्थिति बन गई। मंगलवार से शुरू हुए साक्षात्कार के पहले ही दिन बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवार पहुंच गए, जिससे कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालात को संभालने के लिए पार्टी को साक्षात्कार कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा।

भाजपा नेतृत्व ने अब साक्षात्कार की अवधि बढ़ाते हुए इसे 18 दिसंबर के बजाय 20 दिसंबर तक करने का फैसला किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के वाडों के दावेदारों के साक्षात्कार तय तिथियों में लिए जाएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नागपुर महानगरपालिका चुनाव के लिए तीन हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर टिकट पाने की होड़ कितनी तेज है। कई दावेदारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन बसों में आग लगने की घटनाओं की संख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक दर्ज की गई। महाराष्ट्र में तीन साल की अवधि में ऐसी ही घटनाएं सामने आईं। इसके बाद मध्य प्रदेश में आठ घटनाएं हुईं। राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इसी अवधि में छह-छह घटनाएं दर्ज की गईं, जो यह संकेत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक तस्वीर बुधवार को संसद में सामने आई, जब केंद्र सरकार ने खुलासा किया कि बीते तीन वर्षों में बसों में आग लगने की 45 घटनाओं में 64 लोगों की जान चली गई। ये घटनाएं ऑपरेशन के दौरान हुईं और 10 दिसंबर तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, इन हादसों में सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में दर्ज की गई हैं, जहां बस में आग लगने की घटनाओं में कम से कम 45 लोगों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही मौतों के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर रहा, लेकिन बसों में आग लगने की घटनाओं की संख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक दर्ज की गई। महाराष्ट्र में तीन साल की अवधि में ऐसी ही घटनाएं सामने आईं। इसके बाद मध्य प्रदेश में आठ घटनाएं हुईं। राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इसी अवधि में छह-छह घटनाएं दर्ज की गईं, जो यह संकेत



देती हैं कि यह समस्या केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में यात्रियों की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद नारायण दास गुप्ता के सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में हाल की एक बेहद भयावह दुर्घटना शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक बस की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बस में आग लग गई और इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मंत्रालय ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2016 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 119 के तहत नियमों में बदलाव किए थे, जिनका उद्देश्य बसों में आग जैसी आपात स्थितियों से निपटना था। इन संशोधनों के तहत अब बसों में कुल 10 किलोग्राम क्षमता वाले दो अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। इनमें से एक अग्निशामक ड्राइवर के पास और दूसरा यात्री कक्ष में रखा जाना जरूरी है। इसके अलावा, सुरक्षा मानकों के तहत 12 मीटर तक लंबी बसों में चार आपात निकास द्वार और उससे अधिक लंबाई

वाली बसों में एक अतिरिक्त एग्जिट का प्रावधान किया गया है। इंजन में फायर डिटेक्शन और सप्रेमन सिस्टम लगाने की व्यवस्था भी नियमों का हिस्सा है, ताकि आग लगते ही उसे नियंत्रित किया जा सके। साथ ही, सभी प्रकार की बसों में ड्राइवर और यात्री कक्ष के बीच किसी तरह का स्थायी बंटवारा न रखने का प्रावधान किया गया है, ताकि आपात स्थिति में आवाजाही और बचाव कार्य में बाधा न आए। संसद में सामने आए ये आंकड़े और विवरण यह साफ संकेत देते हैं कि नियमों और तकनीकी उपायों के बावजूद बसों में आग लगने की घटनाएं पूरी तरह थमी नहीं हैं। ऐसे हादसे न केवल यात्रियों की जान लेते हैं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को भी झकझोरते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन हो रहा है और क्या राज्यों के स्तर पर निगरानी और जवाबदेही को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि चलती बसों में जलती जिंदगियों का यह सिलसिला थम सके।

## रेलवे में सुरक्षा की मजबूत निगरानी, देशभर के 1,731 स्टेशनों और करीब 12 हजार कोचों में सीसीटीवी से रखी जा रही पैनी नजर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार अपने निगरानी तंत्र को मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में रेल मंत्रालय ने संसद को बताया है कि देशभर में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के कोचों में सीसीटीवी कैमरों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। अब तक देश के 1,731 रेलवे स्टेशनों और 11,953 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिससे रेलवे परिसरों में होने वाली गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, यह पूरा काम कैपिटल खर्च के तहत किया गया है और इसका उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी नेटवर्क के विस्तार से न सिर्फ चोरी, छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद मिली है, बल्कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई भी संभव हो पाई है। कैमरों की मदद से रेलवे सुरक्षा बल और संबंधित एजेंसियां भीड़ प्रबंधन, महिला सुरक्षा और प्लेटफॉर्म व ट्रेनों में होने वाली घटनाओं की प्रभावी निगरानी कर पा रही हैं। देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण स्टेशनों में शामिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार अपग्रेड किया गया है। स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट, फुट ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म, वॉटिंग हॉल और टिकट काउंटर जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पहले से ही बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इसके अलावा 15 फरवरी 2025 के बाद स्टेशन परिसर में विकसित किए गए नए क्षेत्रों को भी निगरानी के दायरे में लाने के लिए अतिरिक्त कैमरे स्थापित किए गए हैं। मौजूदा समय में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुल 250 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय हैं, जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। रेल मंत्रालय का कहना है कि आने वाले समय में भी यह अभियान जारी रहेगा और चरचरबद्ध तरीके से और अधिक स्टेशनों व कोचों को सीसीटीवी निगरानी से जोड़ा जाएगा। मंत्रालय का मानना है कि तकनीक के इस व्यापक उपयोग से रेलवे में यात्रियों का भरोसा और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगे और किसी भी अग्रिम घटना की रोकथाम में यह व्यवस्था निर्णायक भूमिका निभाएगी।



नवसर्जन संस्कृति

हिन्दी

JioTV

CHENNAL NO. 2063

Jio Air Fiber

Jio Tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

## देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये



संपादकीय

जीवन शैली में बदलाव

से ही समाधान

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घातक पर्यावरण संकट झेल रही है। विडंबना यह है कि इस संकट के निदान के लिये जो उपाय लागू किए जा रहे हैं, उसका खमियाजा गरीबों को झेलना पड़ रहा है। इस संकट की संवेदनशीलता को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अमीरों की जीवन शैली से उपजी मुश्किलों का सामना गरीबों को करना पड़ता है। दरअसल, बिगड़ते प्रदूषण संकट के बाबत दायर याचिकाओं को आज सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह मर्मस्पर्शी टिप्पणी की। कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि वह इस बाबत प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश पारित करेगा। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वरिष्ठ वकील और न्यायमित्र अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए ये टिप्पणी की थी। अदालत का कहना था कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-4 लागू करने के चलते जो पाबंदियां लागू की गई हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को हो रहा है। इससे निर्माण कार्य बंद होने से हजारों गरीब मजदूरों का चूल्हा नहीं जल सकेगा। मुख्य न्यायाधीश ने इस बाबत कहा कि संपन्न लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। साथ ही कहा कि हमें समस्या का पता है और इसलिए हम ऐसे आदेश पारित करेंगे, जिनका पालन किया जा सकेगा। कहा कि कुछ निर्देश ऐसे भी हैं, जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि महानगरों में लोगों की अपनी अलग जीवनशैली होती है, जिन्हें वे बदलना नहीं चाहते। यही वजह है कि समस्या अमीरी की वजह से होती है, लेकिन झेलना गरीब को पड़ता है। दरअसल, अदालत की सोच रही है कि हमारा परिवेश-पर्यावरण साफ-सुथरा रहे, इसके लिये हम सबको अपने कुछ सुखों का त्याग करना होगा। यह जानते हुए कि पर्यावरण पर आने वाले संकट व प्रदूषित हवा का अमीर-गरीब पर समान असर पड़ता है।

निस्संदेह, देश की शीर्ष अदालत ने देश व समाज की दुखती रग पर ही हाथ रखा है। महानगरों में अमीर तबके की विलासिता के चलते ही पर्यावरण व अन्य संकटों को बढ़ावा मिलता है। महानगरों में लगातार सड़कों का विस्तारीकरण, नए हाइवे निर्माण व ओवर ब्रिज निर्माण के बावजूद जाम व प्रदूषण का संकट कम नहीं हो रहा है। दरअसल, हमने अपनी सुख-सुविधाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन व्यापक सामाजिक हितों की अनदेखी की है। आमतौर पर एक अकेले व्यक्ति के लिये कारें सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। जो न केवल सड़कों में ज्यादा जगह घेरती हैं, बल्कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करके प्रदूषण को भी बढ़ावा देती हैं। यही वजह है कि आम आदमी सरकार ने अपने कार्यकाल में ऑड-इवन प्रणाली शुरू करने को प्राथमिकता दी थी ताकि सड़कों पर कारों का सीलाब कम किया जा सके। तब बात उठी थी कि एक दिशा में और एक ऑफिस की तरफ जाने वाले लोग कार शेयर करके चले। विडंबना यह है कि सप्ताधीशों ने दिल्ली में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने को प्राथमिकता नहीं दी। यदि सार्वजनिक परिवहन सस्ता व सहज उपलब्ध होता तो शायद सड़कों पर कारों का दबाव कम होता। हाल के दिनों में संपन्न व मध्यम वर्ग में ऐसी व अन्य वातानुकूलन उपायों के उपयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इससे जहां प्रदूषण बढ़ाने वाली बिजली की खपत बढ़ी है, वहीं बाहर का तापमान व कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है। इसी तरह तमाम अमीरों द्वारा संचालित उद्योगों में उन उपायों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया जो पर्यावरण में प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। विडंबना यह है कि महानगरों व अन्य शहरों में जहां कुछ इलाकों में पेयजल का संकट बना रहता है, वहीं दूसरे पोंश इलाकों में लॉन सीचने, कार धोने और स्वीमिंग पूलों के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। अकसर कहा जाता है कि कुदरत ने हर व्यक्ति के लिए हवा, पानी व भोजन उपलब्ध कराया है, लेकिन इनके असमान वितरण व अमीरी के दाखल के चलते, गरीब के साथ न्याय नहीं हो पाता है। अमीर होना बुरा नहीं है लेकिन उसकी अमीरी की कीमत गरीब को न चुकानी पड़े।

अभियान

भाग्य, बुद्धि और विश्वास की डोर थामने का दिन: गुरुवार

गुरुवार का दिन

मनुष्य का जीवन केवल कर्म से नहीं, बल्कि सही दिशा और सही समय से भी आकार लेता है। कई बार व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदार रहता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती जिसकी वह अपेक्षा करता है। रिश्तों में कड़वाहट बनी रहती है, विवाह में देरी होती है, संतान सुख में बाधा आती है और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसे समय में अक्सर बृहस्पति ग्रह कमजोर या अशुभ अवस्था में होते हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है और यही ग्रह जीवन में ज्ञान, धर्म, विवेक, भाग्य और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। जब गुरु संतुलित नहीं होते, तो जीवन की गाड़ी पटरी से उतरने लगती है। ऐसे में गुरुवार का व्रत व्यक्ति के लिए सहाय, साधना और सुधार का मार्ग बन जाता है। गुरुवार को बृहस्पति और ब्रह्मा तत्व से जोड़ा गया है। यह दिन केवल उपास्य रखने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और संकल्प का दिन माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु छटे, सातवें, आठवें या दसवें भाव में स्थित होते हैं, उनके जीवन में संघर्ष और रुकावट अधिक देखी जाती हैं। कई बार व्यक्ति बिना कारण मानसिक दबाव में रहता है और उसे अपने प्रयासों

का पूरा फल नहीं मिल पाता। धनु और मीन राशि के जातकों के लिए तो गुरु स्वयं स्वामी ग्रह होते हैं, इसलिए इनके जीवन कला में गुरुवार का विशेष महत्व माना गया है। नियमित रूप से इस दिन सप्ताह और श्रद्धा रखने से उनके जीवन में स्थिरता आने लगती है। जब गुरु शुभ ग्रहों जैसे शुक्र या बुध के की क्षमता कमजोर पड़ जाता है, तो गुरु के साथ युति बना लेते हैं, तब व्यक्ति की सोच प्रभित हो जाती है। वह सही निर्णय लेने में चूक करता है और अपने ही बनाए रास्तों पर ठोकर खाता है। बृहस्पति यदि धर्म, विवेक, भाग्य और आशीर्वाद का कमजोर हो जाएं, तो भाग्य का साथ नहीं होता, तो जीवन की गाड़ी पटरी से उतरने लगती है। शास्त्रों में माना गया है कि बृहस्पति चौथे भाव से सुख, पांचवें भाव से बुद्धि और संतान तथा नौवें भाव से भाग्य को नियंत्रित करते हैं। इसलिए जब गुरु मजबूत होते हैं, तो जीवन अपने आप संतुलन में आ जाता है। विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव, बार-बार रिश्तों का टूटना या संतान प्राप्ति में बाधा—इन सभी समस्याओं की जड़ में भी गुरु की कमजोरी मानी जाती है। ऐसे में गुरुवार का व्रत व्यक्ति के भीतर धैर्य, कायक माना गया है, इसलिए गुरुवार को बढ़ावा है। इसी प्रकार जिन लोगों की आयु रेखा

वीआईपी दर्शन पर सुप्रीम आदेश, निर्णय केंद्र करे

गुरुवार का दिन

ये एक जगह नहीं है, श्रद्धालु को इस समस्या से अधिकांश जगह रूबरू होना पड़ता है। जगह—जगह मंदिरों में इस समस्या का सामना होता है। लगभग 40 साल पहले हम कोलकत्ता गए। कालिका जी मंदिर में हम श्रद्धालुओं की लाइन में लगे थे कि हमारे एक साथी ने देखा और हमें इशारा कर अपने पास बुला लिया।

गुरुवार का दिन

प्रेरणा

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन

गुरुवार का दिन



इसके बाद उन्होंने केरल राज्य साक्षरता मिशन अथॉरिटी द्वारा आयोजित ‘अक्षरलक्ष्यम’ साक्षरता परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया। यह परीक्षा उन लोगों के लिए होती है, जिन्हें बचपन में कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इसमें पढ़ना, लिखना और गणित की बुनियादी समझ सिखाई जाती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी काले अक्षरों को सफेद कागज पर नहीं उकेरा हो, उसके लिए इस उम्र में सीखना

आसान नहीं होता। आंखें जल्दी थक जाती हैं, याददाश्त साथ नहीं देती और हाथों की पकड़ कमजोर हो जाती है। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद कानिंयानी अम्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की। हर अक्षर उनके लिए नई पहचान था, हर संख्या एक नई उपलब्धि। धीरे-धीरे वे उस दुनिया में कदम रखने लगीं, जिससे वे दशकों तक दूर रहीं। यह केवल परीक्षा की तैयारी नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने की यात्रा थी। वे यह साबित करना चाहती थीं कि सीखने की चाह अगर सच्ची हो, तो उम्र कभी दीवार नहीं बनती। जब परीक्षा का परिणाम सामने आया, तो यह खबर सिर्फ केरल ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। 96 वर्ष की उम्र में कानिंयानी अम्मा ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि 100 में से 98 अंक हासिल कर सबसे अधिक अंक पाने वालों में शामिल हो गईं। यह उपलब्धि उन सभी धारणाओं को तोड़ने वाली थी, जो यह मानती हैं कि सीखने का समय केवल बचपन या जवानी तक ही सीमित होता है।

उनके शिक्षा के प्रति इस जुनून ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। वर्ष 2019 में उन्हें कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का गुडविल एंबेसडर नियुक्त किया गया, जिससे वे दुनिया भर में शिक्षा और साक्षरता की प्रेरक प्रतीक बन गईं। इसके बाद वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके संघर्ष, समर्पण और उस सोच के लिए था, जिसने समाज को नई दिशा दी। कानिंयानी अम्मा ने 95 वर्ष की उम्र पार करने के बाद शिक्षा हासिल कर यह सिद्ध कर दिया कि सपनों की कोई एकसपायरी डेट नहीं होती। उन्होंने उन लोगों को आईना दिखाया, जो थोड़ी-सी असफलता या उम्र का बहाना बनाकर सीखना छोड़ देते हैं। वर्ष 2023 में उनका निधन हो गया। आज वे हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है, जो यह सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कानिंयानी अम्मा यह अमिट संदेश छोड़ गईं कि सीखने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है—बस हिम्मत और जुनून जिंदा रहना चाहिए।

डिजिटल क्रांति ने कार्यदिवस के परंपरागत समय सीमा को बदलकर ही रख दिया है। कहने को तो छह या सात घंटे का कार्यदिवस होता है पर वर्चुअल युग में कर्मचारी 24 गुणा 7 के दौर में आ गया है। इससे कार्मिकों की मानसिकता और सामाजिक-इकोनॉमिक ताने-बाने को भी प्रभावित किया है। एक समय था जब शीर्ष या पहली दूसरी कतार के अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक होती थी और उनके लिए समय सीमा नहीं होती थी पर अब तो वर्चुअल सुविधाओं के चलते दिन हो या रात रविवार हो या शनिवार कभी भी कहीं भी एक मैसेज मात्र से आपको एक्टिव होकर कैमरे के सामने आना पड़ता है। दरअसल कोरोना काल ने यह परिवर्तन दिया है। भारत सहित दुनिया के देशों में अभी भी कार्मिकों के लिए कार्यदिवस पांच या छह दिवस के हैं तो कार्यमय भी मानने को तो सुबह 9.30 से सायं बजे 6 या दूसरे शब्दों में औसतन लगभग सात घंटे का है पर डिजिटल क्रांति ने सिकुड़ बदल कर रख दिया है। देखा जाए तो अब असीमित कार्य दिवस का दौर आ गया है। वास्तविकता से यह है कि डिजिटल डिवाइसों के उपयोग के बाद से कमोबेश कार्यदिवस 24 गुणा 7 हो गये हैं तो कार्य समय भी तय समय सीमा के बंधन से मुक्त हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कराये गये वर्क ट्रेड इंडेक्स रसेशल रिपोर्ट 2025 में यह खुलासा हो गया है कि अब कार्मिक चाहे वह किसी भी स्तर का हो के लिए चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में तय समय सीमा बीते जमाने की बात हो गई है। ई-मेल, चैट, वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स, सोशल मीडिया संदेश आदि को समग्र रुप से देखने से अब कार्मिक 24 घंटे का कार्मिक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सुबह छह बजे से ही व्यक्ति अपनी ई-मेल टटोलने लगता है तो सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी का समय 11 बजे के लगभग में काम के स्थान पर ई-मेल का प्रेशर 54 प्रतिशत तक बढ़ जाता है सायं तीन बजे बाद ई-मेल, चैट या अन्य संदेशों की आवक कम होने लगती है। वैश्विक औसत की बात की जाये तो 100 से अधिक ई-मेल से दो चार होना पड़ता है कार्मिक को। हर दो मिनिट में मेल, चैट या अन्य संदेश कार्मिक के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। इसका कारण यह होता है कि उसे काल, ई-मेल या संदेश चैक करने या उससे दो चार होना ही पड़ता है। हालात यह है कि रात को भी ई-मेल या संदेश का सिलसिला जारी रहने से अब कार्यालयीय वातावरण से दूर परिवार के व्यैयक्तिक क्षण तो कल्पना की बात होती जा रही है। डिजिटल क्रांति के चलते मीटिंग्स खासतौर से वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स सुविधाजनक होने के साथ ही कार्मिकों के तनाव का कारण भी बनती जा रही है। हालांकि वैश्विक ट्रेड के अनुसार मॉलवार को सर्वाधिक मीटिंग्स होती है इनमें खासतौर से एडहॉक मीटिंग्स अधिक होती है तो शुक्रवार को अपेक्षाकृत कम होता है। सबसे खास बात यह कि औसतन 10 में से एक मितिग तो बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक तय होती है। एक और खास यह कि वर्चुअल मीटिंग्स सुविधाजनक होने और

अन्य को लगातार प्रदेश दिया जा रहा। किसी तरह हम अन्यों वाली पंक्ति में शामिल हुए। तब दर्शन हुए। दर्शन भी बड़े आराम से हुए। काफी समय हम मंदिर में रुके, जबकि ऐसा पहले संभव नहीं था। इस तरह का भेदभाव हमें कई जगह देखने को मिला। उज्जैन में तो आप पंडित को पांच सौ के आसपास रूपये दीजिए। वह मंदिर के गर्भ गृह में ले जाकर पूजन अर्चन कराते हैं। जो ये रकम नहीं देते वे गर्भगृह के बाहर ही दूर से दर्शन कर तृप्त हो जाते हैं। ओंकारेश्वर में तो पंडित जी पूजा भी आराम से और श्रद्धालुओं की पंक्ति से अलग लेकर कराते हैं। मथुरा जी के बांके बिहारी मंदिर में सुप्रीम आदेश से यह व्यवस्था रूकी है, अन्यथा लगभग सभी मंदिरों की हालत ऐसी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, किंतु इस वीआईपी दर्शन पर रोक वाली गैद केंद्र सरकार के पाले में यह कह कर डाल दी। बेंच ने कहा कि बेंच इस मुद्दे से सहमत है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि वीआईपी के लिए ऐसा विशेष व्यवहार मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अब केंद्र सरकार को विवश करेगा कि मंदिरों में आम आदमी के साथ हो रहे भेदभाव को रोके और बांके बिहारी मंदिर की तरह पैसा लेकर कराए जा रहे वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म करे। व्यवस्था अयोध्या जी के श्रीराम मंदिर जैसी हो, जहां श्रद्धालु बिना भेदभाव आराम से 2530 मिनट में दर्शन कर बाहर आ सके।

मानसिकता और कार्यक्षमता को प्रभावित करती वर्चुअल मीटिंग्स

डिजिटल क्रांति ने कार्यदिवस के परंपरागत समय सीमा को बदलकर ही रख दिया है। कहने को तो छह या सात घंटे का कार्यदिवस होता है पर वर्चुअल युग में कर्मचारी 24 गुणा 7 के दौर में आ गया है। इससे कार्मिकों की मानसिकता और सामाजिक-इकोनॉमिक ताने-बाने को भी प्रभावित किया है। एक समय था जब शीर्ष या पहली दूसरी कतार के अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक होती थी और उनके लिए समय सीमा नहीं होती थी पर अब तो वर्चुअल सुविधाओं के चलते दिन हो या रात रविवार हो या शनिवार कभी भी कहीं भी एक मैसेज मात्र से आपको एक्टिव होकर कैमरे के सामने आना पड़ता है। दरअसल कोरोना काल ने यह परिवर्तन दिया है। भारत सहित दुनिया के देशों में अभी भी कार्मिकों के लिए कार्यदिवस पांच या छह दिवस के हैं तो कार्यमय भी मानने को तो सुबह 9.30 से सायं बजे 6 या दूसरे शब्दों में औसतन लगभग सात घंटे का है पर डिजिटल क्रांति ने सिकुड़ बदल कर रख दिया है। देखा जाए तो अब असीमित कार्य दिवस का दौर आ गया है। वास्तविकता से यह है कि डिजिटल डिवाइसों के उपयोग के बाद से कमोबेश कार्यदिवस 24 गुणा 7 हो गये हैं तो कार्य समय भी तय समय सीमा के बंधन से मुक्त हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कराये गये वर्क ट्रेड इंडेक्स रसेशल रिपोर्ट 2025 में यह खुलासा हो गया है कि अब कार्मिक चाहे वह किसी भी स्तर का हो के लिए चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में तय समय सीमा बीते जमाने की बात हो गई है। ई-मेल, चैट, वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स, सोशल मीडिया संदेश आदि को समग्र रुप से देखने से अब कार्मिक 24 घंटे का कार्मिक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सुबह छह बजे से ही व्यक्ति अपनी ई-मेल टटोलने लगता है तो सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी का समय 11 बजे के लगभग में काम के स्थान पर ई-मेल का प्रेशर 54 प्रतिशत तक बढ़ जाता है सायं तीन बजे बाद ई-मेल, चैट या अन्य संदेशों की आवक कम होने लगती है। वैश्विक औसत की बात की जाये तो 100 से अधिक ई-मेल से दो चार होना पड़ता है कार्मिक को। हर दो मिनिट में मेल, चैट या अन्य संदेश कार्मिक के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। इसका कारण यह होता है कि उसे काल, ई-मेल या संदेश चैक करने या उससे दो चार होना ही पड़ता है। हालात यह है कि रात को भी ई-मेल या संदेश का सिलसिला जारी रहने से अब कार्यालयीय वातावरण से दूर परिवार के व्यैयक्तिक क्षण तो कल्पना की बात होती जा रही है। डिजिटल क्रांति के चलते मीटिंग्स खासतौर से वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स सुविधाजनक होने के साथ ही कार्मिकों के तनाव का कारण भी बनती जा रही है। हालांकि वैश्विक ट्रेड के अनुसार मॉलवार को सर्वाधिक मीटिंग्स होती है इनमें खासतौर से एडहॉक मीटिंग्स अधिक होती है तो शुक्रवार को अपेक्षाकृत कम होता है। सबसे खास बात यह कि औसतन 10 में से एक मितिग तो बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक तय होती है। एक और खास यह कि वर्चुअल मीटिंग्स सुविधाजनक होने और

अपना संदेश संबंधित सभी तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम होने के बावजूद यह तनाव का कारण तो बनता ही है इसके साथ ही गुणवत्ता पर भी प्रघ्न लगाये जाने लगे हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि दस में एक एके मीटिंग लास्ट टाइम बुक की जाती है तो मीटिंग्स में प्रस्तुत होने वाले पाँच प्वाइंट प्रजेंटेशन में मीटिंग के दस मिनट पहले तक अधिक बेंलाव या अपडेशन होता है। यह कोई किसी एक पक्ष वाली सकाराी या गैर सकाराी प्रतिष्ठान की बात या किसी देश विशेष की बात ना होकर वैश्विक वास्तविकता है। विशेषज्ञों की माने तो अंतिम समय तक प्रजेंटेशन में बदलाव का मतलब ही यह है कि गुणवत्ता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। वैश्विक आंकड़े में यही कहते हैं कि अंतिम समय में पीपीटी में अपडेशन या संशोधन में 122 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्चुअल मीटिंग का सिलसिला दरअसल कोरोना महामारी के दौर से अधिक सामने आया है और इसे समय और धन बचाने में सहायक माना जाता है पर मीटिंग्स के दौर जिस तरह से बढ़ने लगे हैं उससे कार्मिक सूचनाएं संग्रहित करने और उसमें अपने बचाव के उपाय खोजने में ही अपनी अधिकांश कार्यक्षमता व्यय कर देता है और परिणाम स्वरूप कार्य में गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आना स्वाभाविक माना जाने लगा है। माइक्रोसॉफ्ट की हालिया रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि डिजिटल युग को देखते हुए अब कार्मिकों के कार्यदिवस को नए सिरे से रिडिजाइन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसका प्रमुख कारण कार्मिकों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना और सामाजिकता और वैयक्तितता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रमुख हो जाता है। समय बेसमय मोबाइल या इसी तरह की डिवाइस पर अंशुनित्य चलाने से प्रभावित हो रहे हैं। काम का दबाव, सूचनाओं के संहरण में ही समय जाया होने, वर्चुअल मीटिंग्स में सार्वजनिक रुप से जलालत की संभावना, आ









## गुजरात में भागकर शादी पर सरस्वी, माता-पिता को नोटिस अनिवार्य, पंजीकरण में नए नियम लागू होने की तैयारी

जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात सरकार अन्ध भागकर शादी करने वाले जोड़े के लिए कानून में बड़े बदलाव करने का जहाँ है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, अब किसी भी शादी का पता को नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। इस नोटिस के जवाब में अधिवाचकों को 30 दिन का समय मिलेगा और इस प्रक्रिया के पूरा होने तक शादी समाप्त कर जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम उठाया गया है, बिना किसी कानूनी परिवर्तन की जानकारी के भाग्यशादी करते हैं और पंजीकरण करा लेते हैं। सरकार के सूची के अनुसार, यह संशोधन शादी पंजीकरण अधिनियम, 1953 में ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है। राज्य के कानून मंत्री और विशेषज्ञ आज शाम इस नए कानून का मसौदा अनुसंधान करेंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़े, तो प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रेषित किया जाएगा और उसके बाद ही इस अधिकाधिक रूप से लागू किया जाएगा।



ए नियमों के अनुसार, अब से शादी पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर रजिस्ट्रार कार्यालय सबसे पहले लड़की और लड़के के माता-पिता को नॉटिस भेजेगा। नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे माता-पिता को बिना जानकारी के होने वाली शादियों पर रोक लग सकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

साथ ही, पंजीकरण के स्थान को लेकर भी सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। अब



जोड़े किसी भी जिले में पंजीकृत शादी की जाकर नहीं करा पाएंगे। नए नियम के अनुसार, लड़की के आधार कार्ड में दर्ज पते वाले क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में ही शादी पंजीकरण अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि परिवार को बिना जानकारी के गुप्त रूप से शादी करने का मौका नहीं मिलेगा। पाटीदार समाज और अन्य सामाजिक संगठनों ने लंबे समय से इस सुधार की मांग की थी। उनका कहना था कि बेटियों को बगल ले जाने के मामलों में मौजूदा कानूनी खामियों का दुरुपयोग किया जाता था, जिससे परिवार टूट रहे थे। नए नियमों से यह सामाजिक बुराई कम होगी और परिवार संरचना सुरक्षित रहेगी।

इस पूरे मुद्दे में मीडिया की भूमिका भी अहम रही। पार्टीदार नेताओं वरुण पटेल और बांणियाणिया में मीडिया का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 2023 में जब इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो सही, तब एबीपी अस्मिता चैनल ने सबसे पहले इस मामले को उठाया और अभियान चलाया। मीडिया के प्रयासों के कारण ही सरकार ने अब इस दिशा में कदम उठाने की ठानी है। सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियमों के लागू होने के बाद गुजरात में सामाजिक सुरक्षा के स्तर में सुधार होगा। माता-पिता को विवाह से पूर्व सूचना देने का प्रावधान न केवल पारिवारिक संरचना को मजबूत करेगा, बल्कि जोड़े और समाज में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह कदम उन युवा जोड़ों को नेतावनी देता है, जो बिना परिवार की जानकारी के शादी करने का सोचते हैं। इस बदलाव से यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि राज्य सरकार सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक संरचना को रक्षा के लिए गंभीर है। जब नए नियम लागू होंगे,

तो शादी पंजीकरण के सभी मामलों में माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी। इस पहल को लेकर समाज में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और इसे ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

गुजरात में भागकर शादी करने पर यह सख्त नियम आने के बाद स्थानीय प्रशासन और पंजीकरण कार्यालयों को भी नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी। अब प्रत्येक आवेदन का सावधानीपूर्वक पड़खाना किया जाएगा, और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह न केवल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह परिवारों और युवाओं के बीच भरोसे को भी मजबूत करेगा।

इस तरह, गुजरात सरकार अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के तहत भागकर शादी करने वाले जोड़ों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और इसके लागू होने के बाद यह सुनिश्चित होगा कि शादी पंजीकरण पूरी तरह से लागू और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो।

**(जीएनएस)।** मुंबई। भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट कृति 'होमबाउंड' ने एक बार फिर इसका नाम अंतराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। फिल्म निर्देशक नीरज घेवान की यह फिल्म 98वें एकेडमी अवार्ड्स (ऑस्कर) की 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी' में शॉर्टलिस्ट की ली गई है। इस उपलब्धि के साथ 'होमबाउंड' दुनिया भर की उम्र चुनिंदा 15 फिल्मों में शामिल हो गई है, जो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की मुख्य रस में बनी हैं। हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक माफ़िन स्कॉसेसी इस फिल्म के एनर्जिक यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं, जबकि फिल्म का निर्माण करण जोहर और आदर पूनावाला ने किया है।

ऑस्कर की इस शॉर्टलिस्ट में भारत की 'होमबाउंड' का मुकाबला अर्जेंटीना की 'बेलेन', ब्राजील की 'द स्क्रिप्ट एजेंट', जर्मनी की 'साउंड ऑफ फॉरिंग' और 11 अन्य अंतराष्ट्रीय फिल्मों से है। फिल्म की शॉर्टलिस्टिंग भारतीय सिनेमा के अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता और उसकी कलात्मक क्षमता को दर्शाती है।

फिल्म की कहानी दो ग्रामीण दोस्तों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। एक मुस्लिम और दूसरा दलित, दोनों समाज में सम्मान और पहचान पाने के लिए पुलिस की नौकरी का सपना देखते हैं। यह फिल्म



समजान में गहरे जातिगत और धार्मिक भेदभावक के मुद्दों को बेहद संवेदनशील और संवेदनशील रूप से पेश करती है। कहानी उपन्यासक बशागत और लेख 'टैकिंग अमृत होम' से प्रेरित है। फिल्म में ईशान खड्गुर, जान्हवी कपूर और विशाल जेटवानी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।

नवम्बर 11 ने अन्य 11 कैटेगरी में भी शार्दलितरिग के घोषणा की है। 98वें ऑस्कर के लिए नामिनेशन 22 जनवरी, 2026 के घोषित किए जाएंगे, जबकि उपन्यासक बशागत समारोह 15 मार्च, 2026 को को डाली थिएटर, होलीवुड में आयोजित हो रहा होगा। जबकि कैटेगरी में पंच- पंच नामिनी हो रहे हैं, जबकि बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में दस

नीतिनि शमिल होना। इस समावेह क  
अधिक देशों में होगा।  
‘होमबाउंड’ की अंतरराष्ट्रीय शार्टलैक्टि  
न केवल भारतीय सिनेमा की गुणवत्ता न  
सिनेमा है, बल्कि यह समाज के महत्वपू  
मुद्दों को ग्लोबल प्लेटफार्म पर उजाग  
करने का माध्यम भी बन रही है। फिल्  
की कहानी, पात्रों की संजीव अभिनयि  
और सामाजिक संदेश इसे एक वैश्वव  
मान्यता दिलाते हैं अहम भूमिका निभा र  
है। यह उपलब्धि भारतीय फिल्म उद्योग के  
लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी है, औ  
दर्शकों में फ़िल्म के प्रति उत्सुकता की  
आन्तरिक बढ़ा रही है।

गुजरात सरकार ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए लगाया बड़ा प्रतिबंध, रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन हुई पूरी तरह बैन

**जीएनएस)** अहमदाबाद। गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए एग्रेसिव सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है और सख्त कदम उठाया है। गृह विभाग ने नरेंद्र मोदी सरकार में रोलिंग पेपर, 'गो गो स्मॉकिंग कोकोन' पर 'परफेक्ट पेपर' जैसी वस्तुओं को भी विक्री पर तालका प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन वस्तुओं की विक्री को सरकार कानूनी अपराध माना जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ये उत्पाद न केवल पान पार्लर, चाय की दुकानों और अन्य कारखाने की दुकानों में उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसे बेचना या उपलब्ध कराना अपराध होगा। नरेंद्र मोदी सरकार को उत्पन्न करने वाले दुकानदारों और और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

पेछले कुछ समय में गुजरात में युवाओं और नाबालिगों में नशे की लत तेजी से बढ़ रही थी। विशेष रूप से 'एथोबी अहिस्ता' द्वारा चलाए गए अभियान में यमिस्ता



हुआ कि 'गो गो पेपर' और अन्य स्मॉकिंग कोन खुलेआम बाजार में विक रहे थे और इनका इस्तेमाल चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन के लिए किया जा रहा था। अश्विन्याम में यह भी सामने आया कि इन रोलिंग पेपर और स्मॉकिंग कोन में टारट्रेनिमियम ऑक्साइड, पोटीशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल रंग, कैल्शियम कार्बोनेट और जलोत्पन्न ब्लीच जैसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जो लंबे समय तक सेवन करने पर फेफड़े और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को फैकैसूर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को फैकैसूर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को फैकैसूर

का कारण बन सकते हैं। गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) और 163(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस कदम को अभिभावकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने सकारात्मक रूप से देखा है। लोग मानते हैं कि यह कदम युवाओं को आसानी से मिलने वाली नशे की सामग्री से दूर रखने में मदद करेगा और समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रतिबंध से न केवल नशे के दुष्प्रभावों से

बचाव होगा, बल्कि यह युवाओं के सुरक्षित भविष्य और स्वास्थ्य की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।

राज्य सरकार का कहना है कि युवाओं की सुरक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। इस कदम के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नशे की सामग्री आसानी से उपलब्ध न हो और युवा इस खतरनाक प्रवृत्ति से दूर रहें। सरकारी अधिकारियों और प्रभुत्व विभाग ने भी इस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं और राज्य भर में इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

इस ऐतिहासिक निर्णय से यह संदेश गया है कि गुजरात सरकार युवाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए गंभीर है। समाज में जागरूकता फैलाने और नशे की प्रवृत्ति को कम करने के लिए यह कदम भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा।

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत जिले के पलसाना इलाके में बुधवार को माखीगा गांव स्थित श्री बालाजी के केमिकल कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कने मच गया। अलायन विकाराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री परिसर के बाहर भी लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दस से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। बारडोली, कडोदरा, कामरेज, सचिन सहित आसपास के क्षेत्रों का फायर टोमें भी आग बुझाने में लगी हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मों फोम का छिड़काव कर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पानी की बौछारों से आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग तेजी से फैल रही है और घटनास्थल पर पलसाना



पुलिस का काफिला भी मौजूद है। आग की चपेट में एक मजदूर घायल हुआ है, जिसे तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

स्थानीय प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। आग लगने के कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन फैक्ट्री में बने केमिकल

की वजह से आग तेजी से फैल रही है। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।  
और आग पर नियंत्रण पाने के लिए सफाई  
संस्थापनों का उपयोग किया जा रहा है।  
हाइड्रो जेट्स ने इलाके में अफरातफरी को  
माहौल घटा कर दिया है। फायर विभाग  
के अधिकारी बता रहे हैं कि आग का  
जांच और नुकसान का आकलन किया  
जाने के बाद ही आग लामने की असली  
वजह का पता चल पाएगा। अधिकारियों  
ने जनता से अपील की है कि वे  
लिफ्टहाल कैशियर्स के आसपास न आए  
और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।  
सब घटना से परलुप्त और आसपास  
के इलाके में सुरक्षा और सतर्कता का  
लेवल गंभीर चिंता बढ़ गई है, ओपीडी  
फायर ब्रिगेड के लगातार प्रयासों से  
बावजूद आग ने अभी भी कारी हिस्से  
में अपना प्रकोप बरकरा रखा हुआ है।


चांदी, चांदी-मिनी और चांदी-माइक्रो वायदा ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुँचे: सोना वायदा में 173 रुपये की नरमी

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी  
कर्मोद्देशी डेरिवाटिव एसचेंस  
एम्सीएसएच प्र कर्मोद्देशी वायदा, ऑरॉप  
और इंडेक्स प्यूचर्स में 1847016  
करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ  
कर्मोद्देशी वायदाओं में 45125.  
करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि  
कर्मोद्देशी ऑप्शंस में 139566.33  
करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ  
बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिवस  
वायदा 33071 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड  
हो रहा था। कर्मोद्देशी ऑप्शंस में कुल  
प्रीमियम टर्नओवर 2479.13 करोड़  
रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना  
चांदी के वायरडों में 38578.72 करोड़  
रुपये खरीदी बेच की गई। एम्सीएसएच  
सोना फ्यूरी वायदा 135079 रुपये प  
खुलकर, ऊपर में 135249 रुपये और  
नीचे में 133373 रुपये पर पहुंचकर  
134409 रुपये के पिछले बंद के सामने  
173 रुपये या 0.13 फीसदी गिरकर  
134236 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव प  
पहुंछा। गोल्ड-नैनी दिसेंबर वायदा 4.9  
रुपये या 0.05 फीसदी की तेजी के संग  
107578 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-  
पेटल दिसेंबर वायदा 17 रुपये या 0.13  
फीसदी की तेजी के संग 13466 रुपये

प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जनवरों वायस सत्र के आरंभ में 132600 रुपये के भाव पर खुलकर, 133490 रुपये के दिन के उच्च और 132060 रुपये के नीचे स्तर को छूकर, 55 रुपये पर 0.04 फीसदी की तेजी के संग 132682 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेनरें दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 133419 रुपये के भाव पर खुलकर, 133784 रुपये के दिन के उच्च और 132358 रुपये के नीचे स्तर को छूकर, 132949 रुपये के पिछले बंद के सामने 95 रुपये पर 0.07 फीसदी की तेजी के संग 133044 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायस सत्र के आरंभ में 199201 रुपये के भाव पर खुलकर, 206111 रुपये के आल टाइम हाई और 199201 रुपये के नीचे स्तर के छूकर, 197755 रुपये के पिछले बंद के सामने 6920 रुपये या 3.5 फीसदी की बढत के साथ 204675 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 6750 रुपये या 3.4 फीसदी की मजबूती के साथ 205150 रुपये प्रति किलो बोला गया जबकि चांदी-माइक्रो वायदा 6837 रुपये या 3.4 फीसदी की मजबूती के साथ 205150 रुपये प्रति किलो बोला गया।



या 3.45 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्टुअल 202500 रुपये प्रति किलो पर आ गया था। चांदी-मिनी फरवरी वायदा 206454 रुपये प्रति किलो पर आया। फरवरी और चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 206390 रुपये के ऑल वाग्स हाई स्तरदार वायदा पर पहुँचा था। मेटल वर्ग में 3917.94 रुपये करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा बाजार फरवरी वायदा 5.1 रुपये या 0.466 फीसदी फरवरी बढकर 1111 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता बाजार फरवरी वायदा 40 पैसे या 0.13 फीसदी फरवरी बढकर 303.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामाने मंगनी अल्युमीनियम फरवरी वायदा 1.1 रुपये या 0.39 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्टुअल



ऑयल  
52 रुपये ते  
वायदाओं में 4  
रुपये और कम  
139566.38 करोड़  
टर्नओवर: सोना-  
में 38578.72  
हुआ कारोबार:  
बुलडेक्स फ  
पॉइंट वे

2 8 1 . 3  
रुपये प्रति  
किलो पर आ  
गया। जबकि सीसा  
दिसंबर वायदा 85 पैसे या  
0.47 फीसदी टूटकर 180.3 रुपये प्रति  
किलो हुआ।  
इन जिसो के अलावा कारोबारियों ने  
एनर्जी सेगमेंट में 2622.03 करोड़ रुपये  
के सौदे किए। एमपीएक्स कूड ऑयल  
दिसंबर वायदा 5095 रुपये पर खुलकर,  
ऊपर में 5131 रुपये और नीचे में 5030  
रुपये पर पहुँचकर, 52 रुपये या 1.03  
फीसदी बढ़कर 5123 रुपये प्रति बैरल  
के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि कूड

1.09 फीसदी  
 की तेजी के  
 संग 5124  
 रुपये प्रति  
 बैरल के  
 भाव पर।  
 इ न के  
 अलावा  
 नै सु र ल  
 गैस दिस्ंबर  
 वायदा 359  
 रुपये पर खुलकर,  
 ऊपर में 366.2 रुपये  
 और नीचे में 354.8 रुपये  
 पर पहुंचकर, 356 रुपये के पिछले बंद  
 के सामने 3.5 रुपये या 0.98 फीसदी  
 बढ़कर 359.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू  
 के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि  
 नैसुरल गैस-मिनी दिस्ंबर वायदा 3.6  
 रुपये या 1.01 फीसदी की तेजी के संग  
 359.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।  
 कृषि जिनो में मैथा ऑयल दिस्ंबर  
 वायदा सत्र के आरंभ में 945.5 रुपये के  
 भाव पर खुलकर, 19.7 रुपये या 2.08

प्रोसीदी की बढ़त के साथ 965.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। कारोबार की दृष्टि से एमसीएसएस पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 18213.50 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 20365.23 करोड़ रुपये का खरीद वेंच की गई। इसके अलावा तांबा सोना के वायदाओं में 3058.01 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 352.64 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 21.83 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 485.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इस जिनों के अलावा कूड ऑयल और कूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 9992.80 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1618.38 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरस्ट सोना के वायदाओं में 16905 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 77157 लोट, गोल्ड-मिनी के वायदाओं में 21981 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 346149 लोट और गोल्ड-डेन के वायदाओं में 36990 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में

7273 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39352 लोट और चांदी-माफ़्रो के वायदाओं में 112331 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 26254 लोट और नेचुरल गैस के वायदाओं में 40213 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडोसर्स दिसंबर वायदा 33079 पाइंट पर खुलकर, 33215 के उच्च और 33000 के नीचे लोट स्तर को छूकर, 253 पाइंट बढ़कर 333071 पाइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कॉम्पाईटी ऑपेंस 5100 फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी अंत 19 रुपये की स्टाइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति ग्राम 31.6 रुपये की बढत के साथ 203 रुपये हुआ। जबकि नेचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्टाइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.55 रुपये की बढत के साथ 13.1 रुपये हुआ।

फोना दिसंबर 135000 रुपये की स्टाइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 34.5 रुपये की गिरावट के साथ 1826 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 205000 रुपये की स्टाइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3283.5 रुपये की बढत के साथ 5801.5 रुपये हुआ।

नांवा दिसंबर 1120 रुपये की स्टाइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3283.5 रुपये की बढत के साथ 5801.5 रुपये हुआ।

हास का कॉल ऑफ़ेशन प्रति किलो 36 रुपये की बढ़त के साथ 12.4 रुपये रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑफ़ेशन प्रति किलो 15 पैसे के सुधार के साथ 2.01 रुपये हुआ।

पुट ऑफ़ेशन में क्रूड ऑयल जनवरी 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑफ़ेशन प्रति बैरल 40.2 रुपये की गिरावट के साथ 167.5 रुपये हुआ।

नबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑफ़ेशन प्रति मेट्रिकटनबीयू 1.95 रुपये की गिरावट के साथ 13.8 रुपये हुआ।

जोना दिसंबर 128000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑफ़ेशन प्रति 10 ग्राम 1.5 रुपये की गिरावट के साथ 315 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑफ़ेशन प्रति किलो 2860 रुपये की गिरावट के साथ 3580 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑफ़ेशन प्रति किलो 1.89 रुपये की गिरावट के साथ 10.5 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑफ़ेशन प्रति किलो 1.04 रुपये की बढ़त के साथ 3.35 रुपये हुआ।

अमरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, खेत में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, तीन युवकों की मौके पर मौत

जीएनएस)। अमरेली, गुजरात के  
महाराष्ट्र जिले की बासरा तहसील में  
उत्करी तट पर देह एक भीषण सड़क हादसे  
पूरे हलाक को झकझोर कर रख दिया।  
डाला गाँव के पास तेज गति से जा रही  
का एक गाँववाक अनियंत्रित होकर सड़क  
की नीचे उतर गई और खेत में खड़े एक पड़ो  
ने जा टकराई। टकराई इतनी जबरदस्त थी  
कि कार के परखंडे उड़ गए और उसमें  
सवार चार लोगों में से तीन की घटनास्थल  
पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर  
रूप से घायल हो गया।  
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान  
सालास निवासी विकास सावलीया (38),  
जकोट जिले की थोरगी तहसील की  
नगरपालिसर गाँव निवासी मंथन सावलीया  
(26) और धर्मरा सावलीया (29) के  
रूप में हुई है। वहीं, नीरजभाई मकवाणा  
भीषण रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल  
लाजा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया  
गया है। मुकद और घायल सभी की



कार में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकास, मंथन, धर्मेश और नीरज बुधवार सुबह कार में जूनागढ़ की ओर जा रहे थे। अगरेजी के जीतागढ़ की बगसरा हसोल में हड़ाला गांव के पास ढेरी पीपलिया गांव की पटिया के समीप कार तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान चालक विकास सावल्या का वाहन पर नियंत्रण हट गया। कार सीधे खड़क से नीचे नीतरनी चली गई और खेत में खड़े एक पेड़

से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद कार में सवार विकास, मंथन और धर्मेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नीरज की हालत गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी। सूचना मिलते ही अमरेली फायर ब्रिगेड की टीम फायर ऑफिसर एच.पी. सस्तेजा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। वागसा पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। कार बुरी

तब क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसमें लोग फंसे हुए थे। फायर लिगेड और पुलिस की टीम ने कई मशकतों के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

घायल नीरज को पहले बगसरा अमेरली गरीब हालत को देखते हुए अमेरली अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हुए, जिससे कुछ समस्या के लिए अफय-तफरी का माहौल बन गया।

बताया जा रहा है कि सभी चारों युवक अमेरली के वडिया क्षेत्र में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते आए थे और वापस जाते समय यह दुर्घटना हादसा हो गया।

एक साथ तीन युवकों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया है। इलाके में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणाों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

**(जीएनएन)।** अहमदाबाद। रोटेरी क्लब अहमदाबाद एक्सपर्टों द्वारा आयोजित थैलेसीमिया जागरूकता रैली ने शहर में स्वास्थ्य और भविष्य पीढ़ियों की सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। रैली में रोटेरी डिस्ट्रिक्ट 3055 के डायरेक्टर निगम चौधरी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने विवाह से पूर्व और परिवार नियोजन से पहले थैलेसीमिया जांच करने की अनिवार्यता पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे न केवल संभावित माता-पिता बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इस गंभीर रक्त रोग से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर क्लब ने गंभीर थैलेसीमिया रोगियों के लिए 'रोटी रैली पंप बैंक' का उद्घाटन भी किया। यह पंप उन रोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्हें बार-बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। बार-बार रक्त चढ़ाने से शरीर में लौह (आयरन) की अधिकता हो सकती है, जिसे इस पंप

की मदद से नियंत्रित किया जाएगा और रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में नए सदस्यों का स्वागत किया गया और विभिन्न गतिविधियों में योगदान देने वाले सदस्यों को पिन लगाकर सम्मानित किया गया।

थैलेसीमिया कमेटी के चेयरमैन डॉ. अनिल खत्री ने कहा कि जागरूकता और उपचार में योगदान देने वाले व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना उनका कर्तव्य है, ताकि समाज में थैलेसीमिया के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बनी रहे।

रैली का आयोजन वाडज स्थित  
उद्देकांस भवन में किया गया। रैली  
सकल अहमदाबाद एम्पराण्ट के अध्यक्ष  
सत्यनारायण समदाजी ने कहा कि या  
रैली केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि  
एक स्वायत्ती संकल्प है। उनका उद्देश्य  
कि आज की जागरूकता को आने वा  
कल की रोकथाम में बदला जाए औ  
थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों र  
प्रभावित परिवारों की संख्या को न्यूनत  
किया जा सके।  
इस जागरूकता कार्यक्रम में आम  
नागरिकों के अलावा स्वास्थसंस्था  
रोटी सदस्य और छात्रों ने भी भा  
लिया। रैली में मार्गदर्शन और प्रचा  
के माध्यम से लोगों को थैलेसीमिया र  
लक्षण, उपचार और रोकथाम के उपाय  
के बारे में बताया गया। आयोजकों  
जोर देकर कहा कि समय रहते जां  
करण और साधनी अपना ना ही इ  
सोचने का सबसे कारगर तरी  
है।